

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 09/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 फरवरी, 2025

सा.का.नि... (अ) .- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात नियम कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 376(अ), तारीख 10 जुलाई, 2024 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2024-केंद्रीय कर जारी की गयी थी, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित निम्नलिखित तारीखों को उन तारीखों के रूप में नियत करती है, जिन पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के उपबंध प्रव्रत होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं. (1)	नियम (2)	तिथि (3)
1	नियम 2, 24, 27 और 32	11 फरवरी, 2025
2	नियम 8, 37 और नियम 38 का खंड (ii)	1 अप्रैल, 2025

[सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

(रौशन कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव